17. [illegible]लाल पुत्र [illegible] जाति बलाई उम्र बालिग निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. मोहनलाल पुत्र नुगलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)
19. [illegible]लाल पुत्र नुगलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)
20. शान्ति पुत्री नुगलाल पत्नि जगदीश जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल हाल मुकाम [illegible]खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
21. रामलाल पुत्र छीतर जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

———————— विपक्षीगण

उपस्थित – 1. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – ————अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – ————अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 18, 19, 21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय :–

दिनांक : 20/11/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जगदीश चन्द्र धाकड़ ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरुद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा में प्रार्थी की खातेदारी कृषी भूमि खाता संख्या 79 पर अंकित आराजी नम्बर 49 रकबा 0.7689 हैक्टेयर किस्म माल प्रथम वाली भूमि स्थित है जिस पर आने जाने के लिए 12 फीट चौड़ा रास्ता जो कि रिकॉर्डेड गेमु रास्ते से होता हुआ विपक्षी संख्या 01 से 04 की आराजी संख्या 11/2 एवं विपक्षी संख्या 21 की आराजी संख्या 15 के कोने से मुड़कर आया रास्ता आराजी संख्या 11, 12/1, 12/2 एवं आराजी संख्या 14 की दक्षिणी मेड़ एवं आधा रास्ता आराजी संख्या 15 के उत्तरी मेड़ से होता हुआ आराजी संख्या 52 के उत्तरी पश्चिमी कोने से आराजी संख्या 52 में प्रवेश करता हुआ आराजी संख्या 52 के पश्चिमी दिशा में मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 49 में प्रवेश करता है। जिसे संलग्न नजरी नक्शे में ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी से दर्शाया गया है। प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी में आता जाता है। विपक्षीगण की उक्त भूमि आराजीयात में से होकर गुजरने वाला रास्ता संकड़ा होने से टेक्टर ट्रोली को घुमाने में भी समस्या आती है एवं उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से आराजी संख्या 52 के खातेदार के द्वारा उक्त रास्ते को बार अवरुद्ध कर दिया जाता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु उपरोक्त रास्ते को चौड़ा कराकर 15 फीट रास्ता चाहता है एवं उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी, विपक्षीगण की उक्त आराजीयात में आने जाने वाले उक्त रास्ते को चौड़ा कराकर 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार है। अतः उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2076–2079 ग्राम बेरीसाल, नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रैस आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र दिनांक 25.05.2022 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 18, 19, 21 की ओर से अधिवक्ता जगदीश चन्द्र धाकड़ ने अन्डर टेकिंग (UT) ली व अधिकार पत्र पेश किया। ।

अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 18, 19, 21 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 1, 2, 3, 4 कानुनी एवं रेकार्ड से सम्बधित होकर जवाब की मोहताज नही है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 5 मनगढन्त एवं काल्पनिक होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने इस कलम में जो काल्पनिक रास्ता अंकित किया है उसमें होकर कभी नही निकलता था। प्रार्थी ने इस कलम में गलत व मनगढन्त रास्ता अंकित किया है. प्रार्थी तथ्य छुपाकर न्यायालय के माध्यम से विपक्षीगण की आराजी में रास्ता कायम करवाना चाहता है। जिसका वह अधिकारी नहीं है। क्योकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक एवं नजदीक रास्ता दक्षिण दिशा व पश्चिम दिशा व पुर्व दिशा में उपलब्ध है फिर भी रंजिश वश विपक्षीगण की जमीन में रास्ते की मांग की गयी जो अनुचित है प्रार्थी की आराजी नम्बर 49 के दक्षिण दिशा में एक आराजी नम्बर 48 को छोडकर आराजी नम्बर 172 प्रार्थी स्वयं की आराजी आ रही हैं इससे निकलकर प्रार्थी स्वयं के कुए आचा आराजी नम्बर 168 पर पहुँचता है। उसके पश्चात् रेकॉडेड़ रास्ता आराजी नम्बर 325 से होकर निकलता है। प्रार्थी के पास नजदीक सुलभ रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग प्रार्थी जानबुझकर नही कर विपक्षीगण की आराजी में निकलना चाहता है। प्रार्थी के पास इस रास्ते के अलावा नजदीक रास्ता पश्चिम दिशा में भी निकल सकता है जो आराजी नम्बर 46, 34, 42 की मेड़ से होकर रेकॉडेड़ रास्ता आराजी नम्बर 40 पर मिलता है जो नजदीक व सुलभ है। किन्तु प्रार्थी जानबुझकर वहाँ नहीं निकलना चाहता है क्योकि प्रार्थी ने रंजिश वश विपक्षीगण को धमकी दे रखी है कि मे तुम्हारी जमीन से ही निकलुगा चाहे कितने भी रूपये लग जाये। विपक्षीगण के पास पहले से ही कम जमीन है। उसको भी प्रार्थी रास्ते के रूप में नष्ट करने पर आमादा हैं इस कारण विपक्षीगण की जमीन में रास्ता मांग रहा है। प्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है जिसकी सोच है कि राशि जमा कर चाहे जहा पर रास्ता कायम करा दुंगा। वैकल्पिक एवं नजदीक व सुलभ रास्ता उपलब्ध होते हुये भी यदि जवाबदाता विपक्षीगण की आराजी से रास्ता देने हेतू न्यायालय श्रीमान आदेश फरमाते है तो रास्ते में आने वाली भुमि के बदले में मुआवजा न दिला कर जितनी जमीन रास्ते में आती है उतनी जमीन प्रार्थी की आराजी में से दिलायी जावें तो प्रार्थी नया रास्ता ले लेवे। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है जवाबदाता विपक्षीगण रास्ते के बदले मुआवजा लेने के लिये तैयार नहीं है। रास्ते के बदले में जितनी जमीन विपक्षीगण की आयेगी उतनी जमीन प्रार्थी की आराजी नम्बर 49 में से लेने के लिये तैयार है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है रास्ते के आवेदन के साथ संलग्न नजरी नक्शा गलत व झुठा प्रस्तुत किया है क्योकि प्रार्थी के पास दक्षिण दिशा में स्वयं की आराजी नम्बर 172 से नजदीक व सुलभ रास्ता उपलब्ध है। जो रेकॉडेड़ रास्ता आराजी नम्बर 325 में मिलता है उसको जानबुझ कर संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया नही हैं न ही रेकॉर्डेड रास्ता आराजी नम्बर 40 से जाने वाले को दर्शाया है। संलग्न नजरी नक्शा काल्पनिक व गलत पेश किया है। अतः प्रार्थी के पास नजदीक व सुलभ रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2025/822 दिनांक 21.04.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/1278 दिनांक 01.08.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि भू0अ0नि0 बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी हल्का सुखपुरा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बेरीसाल प.ह. सुखपुरा के आराजी नं0 49 रकबा 0.7689 है0 भूमि में पहुंचने हेतु ग्राम बेरीसाल की आ0नं0 10/2, 11, 12/1, 12/2, 14, 15 व 52 में रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराना चाहता है। आ.नं. 49

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मे आने जाने के लिए रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी आ.नं. 10/2 के दक्षिणी पूर्वी कोने से आ.नं. 11, 12/1, 12/2 व 14 की दक्षिणी मेड व आ.नं. 15 की उतरी मेड के सहारे तथा आ.नं. 52 की पश्चिमी मेड के सहारे 15 फीट रास्ता दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	शेष रकबा (है0 में)
1	10/2	0.2428	0.0048	0.2380
2	11	0.4371	0.0146	0.4225
3	12/1	0.2347	0.0078	0.2269
4	12/2	0.2266	0.0091	0.2175
5	14	0.1700	0.0073	0.1627
6	15	2.2824	0.0388	2.2436
7	52	0.5423	0.0494	0.4929
	योग		0.1318	

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते मे से आ.नं. 10/2, 11, 12/1, 12/2, 14, 15 में मौके पर करीब 12 फीट चौडाई का रास्ता बना होकर चालू हैं। आ.नं. 52 में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते मे से करीब आधे रास्ते मे मौके पर रास्ता बना हुआ है। आ.नं. 52 व 14, 15 के कोने पर आ.नं. 52 में लोहे की फाटक लगी हुई है। प्रतिवादी द्वारा पश्चिम दिशा में आ.नं. 46, 34, 42 में न्यूनतम दूरी का रास्ता दिया जाना बताया है। रेकार्ड अनुसार आ.नं. 47, 46, 43 व 42 मे से रास्ता दिया जाने पर न्यूनतम दूरी का होता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में मौके पर आंशिक क्षेत्र में नाला निकलता है। प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। विवरण निम्न हैं :–

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	शेष रकबा (है0 में)
1	47	0.0809	0.0064	0.0745
2	46	0.0647	0.0146	0.0501
3	43	0.0728	0.0155	0.0573
4	42	0.2266	0.0350	0.1916
	योग		0.0715	

उपरोक्त प्रस्तावित आराजी खनिज संभावित/स्वीकृत खनन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। आबादी से 160 मीटर की दूरी पर तथा NH, SH से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

ग्राम बेरीसाल की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 10/2, 11, 12/1, 12/2, 14, 15 व 52 कुल किता 7 में से रकबा 0.1318 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 501700/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 66125/– रूपये का दुगुना से 132250/– रूपये एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु प्रस्तावित आ.नं. 47, 46, 43 व 42 कुल किता 4 रकबा मे से 0.0715 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 501700/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 35872/– रूपये का दुगुना से 71744/– रूपये राशि बनती है।

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ नकल जमाबन्दी मय नक्शा पेश किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को ... स्तर पर रखा गया।

लगातार पेज संख्या 05 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 207/2022 दायर तारीख 25/05/2022

अनवान

01. मांगीलाल पुत्र राजू जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

.... प्रार्थी

बनाम

1. नानीबाई पुत्री किशना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल हाल मुकाम खेमा का खेड़ा पोस्ट बोराव तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज०) **(नाम विलोपित)**
2. मांगीलाल पुत्र किशना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. मोहनलाल पुत्र किशना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
4. रामलाल पुत्र किशना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. अनिता पुत्री शंभूलाल पत्नि महेन्द्र उम्र बालिग निवासी बेरीसाल हाल मुकाम अमरपुरा (रगसपुरिया) तह० बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. कौशल कुमार पुत्र शंभूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. घीसीबाई पत्नि शंभूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. जीतीबाई पत्नि देबीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. नर्बदा पुत्री शंभूलाल पत्नि कैलाश जाति धाकड उम्र बालिग निवासी बेरीसाल हाल मुकाम पुरोहितो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. पुष्पा पुत्री शंभूलाल पत्नि मनोज जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल हाल मुकाम अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. मधु पुत्री शंभूलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. शंकरलाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
13. अशोक कुमार पुत्र मदनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. इंद्राबाई पुत्री मदनलाल पत्नि सुमित कुमार जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल हाल मुकाम बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. दिनेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. मोहनलाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी नाह बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा